भारतीय वैश्विक परिषद

वर्ष 2021–2022
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

भारतीय वैश्विक परिषद् 31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा	1
31.03.2022 को तुलन पत्र की स्थिति	3
31.03.2022 को समाप्त हुए वर्ष के आय व्यय लेखा	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

(i)

भारतीय वैश्विक परिषद

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. प्रारंभिक शेष		
(क) नकद रोकड़	-	-
(ख) बैंक में जमाराशि		
i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	3,61,01,793	3,43,24,989
ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	-	-
iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	-	-
(ग) अन्य		
अग्रदाय खाता	5,000	5,000
प्रेषक के पास डाक टिकटें	-	-
II. अनुदान		
एमईए से अनुदान - सामान्य	10,00,00,000	10,00,00,000
एमईए से अनुदान - वेतन	2,00,00,000	1,83,00,000
एमईए से अनुदान - परियोजना	-	-
III. आय		
पुस्तकालय सदस्यता	14,000	5,500
विविध आय	9,32,275	73,347
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	5,79,203	5,35,033
बचत खाते से अर्जित आय	1,70,787	-
स्थायी जमा से आय	55,895	-
IV. अन्य प्राप्तियां		
प्रतिभूत जमा- पुस्तकालय	58,800	28,000
वसूल किया गया अन्य अग्रिम	3,53,029	-
रद्द चेक	-	23,000
कुल अग्रनीत	15,82,70,782	15,32,94,869

भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. व्यय		
(क) संस्थापना व्यय		
वेतन, पी एफ आदि	1,69,30,292	1,54,60,041
बोनस	1,30,101	1,24,344
उपदान व्यय	36,512	-
पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	2,55,000	2,67,500
स्टाफ कल्याण व्यय	60,739	55,000
प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	51,086	1,08,000
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,77,979	12,26,351
कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	-	-
एल टी सी व्यय	64,727	1,13,279
छुट्टी नकदीकरण	23,440	54,834
(ख) प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन व्यय	2,26,753	1,86,127
लेखापरीक्षा शुल्क	1,17,440	2,68,080
अन्य व्यय	13,92,277	91,508
प्रकाशन की लागत	30,39,440	25,36,232
सीएससीएपी सामान्य व्यय	67,70,819	54,48,810
विद्युत एवं जल प्रभार	1,12,148	84,020
कार्यालय बीमा व्यय	64,41,023	47,89,782
बैठक एवं सेमिनार व्यय	30,48,872	30,48,801
एनडीएमसी गृह कर	24,60,274	20,74,445
कार्यालय व्यय	1,33,280	10,718
टिकट एवं टेलीग्राम	3,76,23,780	2,98,70,044
व्यावसायिक प्रभार	30,61,279	12,81,141
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	74,39,466	48,82,265
मरम्मत एवं रख-रखाव	29,98,644	25,81,762
सुरक्षा व्यय	7,22,390	7,00,613
टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	24,23,519	25,13,381
यात्रा एवं वाहन	98,112	3,01,752
समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	3,90,099	5,84,388
ग्राहक एवं सदस्यता व्यय	9,47,893	1,38,127
वेबसाइट व्यय	6,514	-
वेबसाइट के लिए अग्रिम		
कुल अग्रनीत	9,79,83,898	7,88,01,345

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(i)

(2)

भारतीय वैश्विक परिषद

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कुल अग्रनीत	15,82,70,782	15,32,94,869	कुल अग्रनीत	9,79,83,898	7,88,01,345
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	4,30,723	10,07,946
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	15,05,064	8,32,006
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	27,71,910	61,70,292
			पुस्तकालय की आई टी अवसंरचना	-	-
			कार्यालय उपस्कर	2,77,168	6,62,484
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति	-	4,04,240
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	7,800	5,600
			कॉरपोरेट इनफोटेक (टेंडर ईएमडी)	-	-
			यूवी प्रौद्योगिकियां (ईएमडी मनी)	-	-
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	84,85,033	2,47,80,005
			परियोजनाओं का उपयोग	-	-
			अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान	20,00,000	27,87,817
			अन्य अग्रिम	19,47,258	17,36,341
			रदद चेकों के विरुदध भुगतान	-	-
			अवधि पूर्व व्यय	1,97,922	-
			(क) नकद रोकड़		
			(ख) बैंक में जमा राशि		
			i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	1,01,676	3,61,01,793
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	4,25,57,330	-
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	-	-
कुल	15,82,70,782	15,32,94,869	कुल	15,82,70,782	15,32,94,869

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16/06/2022

हस्ता/- लेखा अधिकारी | हस्ता/- अनुभाग अधिकारी | हस्ता/- उप महानिदेशक | हस्ता/- महानिदेशक

(2)

(3)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि	1	2,69,26,966.00	2,54,98,615.00
निर्धारित/अक्षय निधि	2	-	-
आस्थगित आय	3	15,98,26,289.00	16,71,48,992.00
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	4,57,57,036.00	4,97,82,494.00
कुल		**23,25,10,291.00**	**24,24,30,101.00**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	16,00,74,667.00	16,79,13,660.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	7,24,35,624.00	7,45,16,441.00
कुल		**23,25,10,291.00**	**24,24,30,101.00**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.06.2022

हस्ता/-	**हस्ता /-**	**हस्ता /-**	**हस्ता/-**
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

(3)

4

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के आय व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4.4 बी देखिए)		11,95,22,343.00	9,33,72,393.00
सदस्यता फीस	7	12,770.00	22,094.00
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	8	5,76,000.00	5,35,033.00
अर्जित ब्याज	9	5,51,037.00	-
अन्य आय	10	2,50,95,207.00	1,43,84,566.00
कुल (क)		**14,57,57,357.00**	**10,83,14,086.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	11	3,01,15,735.00	1,88,64,603.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	8,28,96,312.00	6,91,00,391.00
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		34,81,686.00	27,87,817.00
प्रकाशनों की लागत		30,28,610.00	26,19,582.00
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		2,46,08,741.00	1,43,52,363.00
अवधि पूर्व व्यय		1,97,922.00	-
कुल (ख)		**14,43,29,006.00**	**10,77,24,756.00**
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		14,28,351.00	5,89,330.00
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16/06/2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशराक**	**महानिदेशक**

4

(5)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1– संग्रह/पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		2,54,98,615.00		2,49,09,285.00
जोड़ें : संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	–		–	
जोड़ें : आय और व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	14,28,351.00		5,89,330.00	
		14,28,351.00		5,89,330.00
वर्ष के अंत में अतिशेष		2,69,26,966.00		2,54,98,615.00

अनुसूची 2– निर्धारित/अक्षय निधियां	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क) **निधियों का प्रारंभिक अतिशेष**	–	–
ख) **निधियों में परिवर्धन::**		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण		–
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	–	–
ग) **निधियों के उददेश्यों के प्रति उपभोग/व्यय**		
i. पूंजी व्यय		
– अचल परिसंपत्तियां	–	–
– अन्य	–	–
ii. राजस्व व्यय		
– वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	–	–
– किराया		
– अन्य – यात्रा एवं अन्य व्यय		–
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन		–
वर्ष के अंत में शुदध अतिशेष (क+ख+ग)	–	–
अनुसूची 6–ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	–	–
	–	–

अनुसूची 3– आस्थगित आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	16,71,48,992.00	16,83,87,566.00
जोड़िए: अवक्षयीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (निवल)	1,72,08,291.00	1,30,72,645.00
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम		
ऐसी परिसंपत्तियां आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित की जाती हैं	2,45,30,994.00	1,43,11,219.00
कुल	15,98,26,289.00	16,71,48,992.00

हस्ता /–	हस्ता /–	हस्ता /–	हस्ता /–
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(5)

(6)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		17,17,594.00		3,06,969.00
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		6,016.00		4,786.00
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	3,48,404.00		2,09,594.00	
		3,48,404.00		2,09,594.00
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	7,17,540.00		6,61,540.00	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें)	2,09,83,930.00		3,77,14,564.00	
ग) देय वेतन एवं भत्ते	12,46,578.00		10,09,955.00	
घ) अन्य देनदारियां	7,17,602.00		4,87,656.00	
		2,36,65,650.00		3,98,73,715.00
कुल (क)		2,57,37,664.00		4,03,95,064.00
ख. प्रावधान				
उपदान के लिए प्रावधान		1,13,84,718.00		93,87,430.00
सेवानिवृत्ति के पश्चात छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान		86,34,654.00		-
कुल (ख)		2,00,19,372.00		93,87,430.00
कुल (क+ख)		4,57,57,036.00		4,97,82,494.00

अनुसूची 4.4 (ख) केन्द्र सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
आरंभिक अतिशेष	3,77,14,564.00	2,58,59,602.00
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	12,00,00,000.00	11,83,00,000.00
	15,77,14,564.00	14,41,59,602.00
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	11,95,22,343.00	9,33,72,393.00
	3,81,92,221.00	5,07,87,209.00
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	1,72,08,291.00	1,30,72,645.00
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	2,09,83,930.00	3,77,14,564.00
कुल	2,09,83,930.00	3,77,14,564.00

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(6)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल संपत्तियां

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
निजी निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	–	–	28,65,530	21,10,370	75,516	–	21,85,886	6,79,644	7,55,160
2.फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	–	–	1,88,400	1,83,156	525	–	1,83,681	4,719	5,244
3.पुस्तकालय पुस्तिकाएं एवं पत्रिकाएं	38,967	–	–	38,967	34,703	1,706	–	36,409	2,558	4,264
उप - जोड़(क)	30,92,897	–	–	30,92,897	23,28,229	77,747	–	24,05,976	6,86,921	7,64,668
केंद्र सरकार के अनुदान से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,75,69,376	–	–	6,75,69,376	2,25,71,466	44,99,790	–	2,70,71,256	4,04,98,120	4,49,97,910
2. फर्नीचर, फिक्चर	4,69,67,190	15,19,724	1,42,344	4,83,44,570	3,42,13,251	13,55,509	–	3,55,68,760	1,27,75,810	1,27,53,939
3. कार्यालय उपस्कर	4,13,41,752	2,77,168	1,85,167	4,14,33,753	2,08,85,872	30,89,171	–	2,39,75,043	1,74,58,710	2,04,55,880
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,78,60,405	6,89,884	1,09,050	1,84,41,239	1,49,95,078	13,84,033	–	1,63,79,111	20,62,128	28,65,327
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	5,51,47,744	28,56,311		5,80,04,055	2,58,10,440	1,23,12,682	–	3,81,23,122	1,98,80,933	2,93,37,304
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,59,75,714		–	1,59,75,714	1,43,08,153	6,67,025	–	1,49,75,178	10,00,536	16,67,561
7. विद्युत इंस्टालेशन	3,33,27,344	–	1,982	3,33,25,362	2,37,26,221	9,60,113	–	2,46,86,334	86,39,028	96,01,123
8. साइकिल एवं रिक्शा	36,500	–	–	36,500	13,911	3,388	–	17,300	19,200	22,589
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,57,596	–	–	10,57,596	4,09,389	2,59,283	–	6,68,672	3,88,924	6,48,207
उप - जोड़ (ख)	27,92,83,621	53,43,087	4,38,543	28,41,88,165	15,69,33,781	2,45,30,994	–	18,14,64,776	10,27,23,390	12,23,49,840
चालू वर्ष का जोड़ (क+ख)	28,23,76,518	53,43,087	4,38,543	28,72,81,062	15,92,62,010	2,46,08,741	–	18,38,70,752	10,34,10,311	12,31,14,508
पिछला वर्ष	27,49,59,538	74,16,980	–	28,23,76,518	14,49,09,647	1,43,52,363	–	15,92,62,010	12,31,14,508	13,00,49,891
जारी पूंजीगत कार्य									5,66,64,356	4,47,99,152
कुल									16,00,74,667	16,79,13,660

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

8

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 -चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		5,000.00		5,000.00
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	1,01,676.00		3,61,01,793.00	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	3,60,00,000.00			
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	65,57,331.00		-	
		4,26,59,007.00		3,61,01,793.00
कुल (क)		4,26,64,007.00		3,61,06,793.00
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		2,11,21,733.00		2,93,56,746.00
ख) पूर्व-भुगतान ग) अन्य		30,83,793.00		21,53,296.00
2 उपार्जित आय		50,70,949.00		68,99,606.00
क) जमा लेखे पर		4,95,142.00		-
कुल (ख)		2,97,71,617.00		3,84,09,648.00
कुल (क + ख)		7,24,35,624.00		7,45,16,441.00

हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

8

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को यथा विद्‌यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7 - सदस्यता शुल्क	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
पुस्तकालय की सदस्यता	12,770.00	22,094.00
कुल	12,770.00	22,094.00

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		
रॉयल्टी	5,76,000.00	5,35,033.00
कुल	5,76,000.00	5,35,033.00

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज		
1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तो पर (भारतीय स्टेट बैंक)	5,51,037.00	-
2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते 'पर (भारतीय स्टेट बैंक)	-	
	-	-
कुल	5,51,037.00	-

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 10 - अन्य आय		
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	2,45,30,994.00	1,43,11,219.00
ख) मिश्रित आय	5,64,212.96	73,347.00
कुल	2,50,95,206.96	1,43,84,566.00

हस्ता/-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 11 – स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	2,54,31,853.00	1,49,99,557.00
ख) बोनस	1,30,101.00	1,24,344.00
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	13,29,625.00	15,50,817.00
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	60,739.00	55,000.00
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार – आर.पी.एफ.सी.	55,834.00	1,02,854.00
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	20,33,800.00	7,10,170.00
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	10,73,783.00	13,21,861.00
कुल	3,01,15,735.00	1,88,64,603.00

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 12 – अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखापरीक्षा शुल्क	1,17,440.00	2,68,080.00
ख) विज्ञापन खर्च	2,26,753.00	1,86,127.00
ग) विद्युत एवं जल	68,65,819.00	57,08,810.00
घ) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	64,42,166.00	37,82,689.00
ड.) कार्यालय बीमा	84,020.00	84,020.00
च) एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,872.00	30,48,801.00
छ) कार्यालय व्यय	24,16,208.00	18,84,936.00
ज) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	9,41,425.00	6,98,245.00
झ) मुद्रण और लेखन सामग्री	31,41,011.00	12,81,141.00
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	3,83,66,888.00	3,06,87,312.00
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	1,06,09,337.00	1,45,68,191.00
ड) सुरक्षा व्यय	33,05,352.00	25,81,762.00
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	26,18,144.00	25,14,326.00
ण) अन्य व्यय	12,14,623.00	3,60,438.00
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	1,09,013.00	1,11,060.00
द) वेबसाइट व्यय	6,79,706.00	8,26,624.00
	27,09,535.00	5,07,829.00
कुल	8,28,96,312.00	6,91,00,391.00

हस्ता/-	हस्ता /-	हस्ता /-	हस्ता /-
लेखा सहायक	अनुभाग अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जो कि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित मूल्यह्रास को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, प्रबंधन द्वारा अंगीकार किए गए, अनुसार समुचित दरों पर निम्नलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है :

भवन	10%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	40%
फर्नीचर और फिक्स्चर	10%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/पेरिफेरल	40%
विद्युत अधिष्ठापन	10%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	40%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में 1 अक्टूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

3. **राजस्व मान्यता**

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षयी आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. **विदेशी मुद्रा में लेनदेन**

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. **सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ईपीएफओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर देय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16.06.2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

(13)

भारतीय वैश्विक परिषद

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक देनदारियां:**

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। आईसीडब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दि · ए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य न्यायालयी मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं – शून्य

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं :** अग्रिम निवल - शून्य

3. भारतीय वैश्विक परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, भारतीय वैश्विक परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने आईसीडब्ल्यू अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 की अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

(13)

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेदार होगा।

5. जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध या पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।

6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।

7. अचल परिसंपत्तियों में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।

8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्तिगत निधि) का एक भाग है तो क्या भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.06.2022

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
लेखा सहायक	**अनुभाग अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय वैश्विक परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 के अनुसार भारतीय वैश्विक परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) जिसे आईसीडब्ल्यू (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही भारतीय वैश्विक परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पंणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती है कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

iii. हमारी राय में अभी तक ऐसी पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड भारतीय वैश्विक परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

परिषद ने बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया था, जैसा कि खातों के समान प्रारूप में निर्धारित किया गया था और साथ ही आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा में उपदान एवं अवकाश नकदीकरण के लिए रु.2.00 करोड़ के प्रावधान की पर्याप्तता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

ख. सहायता अनुदान

भारतीय वैश्विक परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। परिषद के पास 3.77 करोड़ रुपए पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी तथा परिषद को वर्ष 2021-22 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इस राशि में से 13.67 करोड़ रुपए परिषद ने खर्च किया तथा परिषद के पास 31 मार्च 2022 तक 2.10 करोड़ रुपए अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष है।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उसके निदान/सुधार के लिए प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक 31 मार्च, 2022 तक की भारतीय वैश्विक परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

अनुबंध-I

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षा आयोजित की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

पर्यावरण नियंत्रण

ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी क्योंकि बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।

3. अचल आस्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया :

क्र.सं.	पूंजी पंजीयक	भौतिक सत्यापन की तारीख
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	18.08.2022
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	17.08.2022
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरल्सण् पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	07.07.2022

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	18.08.2022
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	07.07.2022
3.	लेखन सामग्री	07.07.2022
4.	प्रकाशन	11.08.2022

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2022 तक 348404 रुपए की सांविधिक देनदारी बकाया है।

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

****

नोट: **प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।**